कार्यालय, देवघर नगर निगम, देवघर

आम सूचना

पत्रांक 2259 दिनांक 01/7/2017

सरकार के प्रधान सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक--1639, दिनांक–27.03.2017 के आलोक में सभी गैर अनुज्ञप्ति वधशाला/मांस दुकान को संचालन नहीं करने का निदेश है। अनुज्ञप्तिधारी वधशाला को/स्वास्थ चिकित्सा एवं नगर निगम के द्वारा जारी नियमों के अधीन ही संचालित किया जाना है। उक्त आलोक में देवघर नगर निगम अन्तर्गत वधशाला (खस्सी, मुर्गा, मच्छली/मांस) संचालन हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाना है। अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति एवं संस्थाओं से देवघर नगर निगम सादे कागज पर स्वलिखित आवेदन आमंत्रित करती है। इच्छुक व्यक्ति एवं संस्था दिनांक 16.07.2017 को पूर्व0/अप0 30.07.2017 तक कार्यालय देवघर नगर निगम में अपना आवेदन समर्पित कर सकते हैं।

नियम एवं शर्त्ते निम्नलिखित है :–

1. निगम क्षेत्रान्तर्गत घनी आबादी से दूर मकान/दुकान ऐसे स्थान पर हो जिससे आम जनता के स्वास्थ्य एवं धार्मिक भावना प्रभावित न हो, एवं शिक्षण संस्थान, स्वास्थ केन्द्र, धार्मिक स्थल, नदी–तालाब से न्यूनतम 500मी0 की दूरी (परिधी) पर हो।
2. कोई भी व्यक्ति, लाइसेंसी/मान्य वधशाला को छोड़, अन्यत्र किसी भी स्थल पर पशु का वध नहीं कर सकता है।
3. अवस्थित मकान/दुकान का अद्यतन माल गुजारी रसीद या हॉल्डिंग रसीद आवश्यक है।
4. पशु चिकित्सक के देखरेख में वधशाला का संचालन किया जाएगा।
5. पंजीकृत पशु चिकित्सक द्वारा पशुओं की जांचोपरांत, फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के उपरांत ही पशुओं का वध किया जा सकता है।
6. किसी भी गर्भधारित पशु का वध नहीं किया जाएगा ।
7. किसी भी ऐसे पशु का वध नहीं किया जाएगा इसकी उम्र तीन माह से कम हो। ऐसे पशु का भी वध नहीं किया जाएगा, जिसकी बच्चे की उम्र 3 माह से कम हो ।
8. पशुओं की विभिन्न श्रेणियों के आलोक में, वधशाला में पशुओं को रखने हेतु पर्याप्त क्षमता (प्रति पशु 2 Sq.mt), पानी तथा चारे आदि की सुविधा होनी चाहिए।
9. ब्लड ड्रेन (खून बहाव) तथा कलेक्शन (ब्लड, हड्डी टिशू) की व्यवस्था परिसर में ही करने की उचित व्यवस्था हो।
10. वधशाला में किसी भी पशु का वध अन्य पशुओं के समक्ष नहीं होना चाहिए।
11. वधशाला इस प्रकार होना चाहिए कि उसमें पर्याप्त प्रकाश, वेन्टीलेशन, ड्रेनेज, की समुचित व्यवस्था हो।

12. वधशाला में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को काम पर नहीं लगाया जा सकता है।
13. किसी संक्रमित बीमारी से ग्रसित/मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति को पशुंओं के वध हेतु अनुमति नहीं दी जा सकती है।
14. वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्ति से ही पशुओं के वध का कार्य लिया जा सकता है तथा उन्हें प्रत्येक छह माह में अपना अनुज्ञप्ति नवीकरण कराना होगा।
15. वधशाला में 5 फीट तक टाईल्स लगी होनी चाहिए।
16. वधशाला गुलाबी रंग से रंगी होनी चाहिए।
17. पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
18. वधशाला में उपयोग होने वाले तेज हथियार स्टेनलेश स्टील का होना चाहिए।
19. वधशाला की सफाई प्रतिदिन दो बार गंध निरोधक पदार्थ से होना चाहिए। सभी उपकरण एवं दुकान की सफाई प्रतिदिन गर्म पानी से होनी चाहिए।
20. वधशाला द्वारा निर्धारित शुल्क प्रति पशु/ बाजार द्वारा प्रचलित प्रति किलो के दर के एक चौथाई हिस्सा निर्धारित है।
21. वध करने के लिए व्यक्ति को मेडिकल फिटनेश सर्टिफिकेट होना चाहिए।
22. सरकार द्वारा निर्गत आदेश/निदेश, माननीय हाइकोर्ट एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्गत आदेश/निर्देश का शतप्रतिशत अनुपालन नहीं करने पर 2000 रू0 दण्ड शुल्क एवं लगातार अवहेलना करने पर नोटिस निर्गत करने की तिथि से अतिरिक्त 500/रू0 प्रतिदिन देय होगा एवं तत्काल प्रभाव से अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया जाएगा।
23. समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/देवघर नगर निगम देवघर द्वारा पारित आदेश/निदेश लागू होगा।

1/7/17

नगर आयुक्त,
देवघर नगर निगम, देवघर।

ज्ञापाक 2259 देवघर, दिनांक 01/7/2017
प्रतिलिपि :– सम्पादक, हिन्दुस्तान/ प्रभात खबर/दैनिक जागरण, देवघर से अनुरोध है कि उपरोक्त दिज्ञप्ति को D.A.V.P दर के अन्तर्गत पठनीय योग्य प्रकाशित कराने की कृपा करेंगे।
स्थानीय संस्करण में

1/7/17

नगर आयुक्त,
देवघर नगर निगम, देवघर।

कार्यालय, देवघर नगर निगम,देवघर।

लघु वधशाला का संचालन के लिए
अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र :-

आवेदक का पास्पोट
साईज फोटो ग्राफ

1. आवेदक / आवेदिका का नाम :- ....

2. पिता / पति का नाम :- ....

3. आवेदक का आधार नं0 :- ....

4. वार्ड न0 :- ....

5. होल्डिंग नं0 :- ....

6. व्यवसाय का नाम :- ....

7. मो0 नं0 :- ....

8. आधार कार्ड नं0 :- ....

9. वधशाला संचालन की अनुज्ञप्ति निम्न में से किसके लिए :- (a) बकरी (b) भेड़ (c) मच्छली (d) मूर्गा (e) सभी

10. वधशाला संचालन के लिए प्रस्तावित स्थल का नाम एवं विवरणी ....
....

11. प्रस्तावित स्थल से निम्न निर्धारित स्थलो की दूरी (मीटर में)घनी आबादी क्षेत्र / धार्मिक स्थल / शिक्षण संस्थान / स्वास्थ केन्द्र एवं नदी तालाब से दूरी .... (न्यूनतम 500मी0 की परिधि)।

12. वधशाला संचालन के लिए नियुक्त पशु चिकित्सा पदा0 की विवरणी

(क) नाम :- ....

(ख) पता ....

(ग) रजिस्ट्रेशन न0 : ....

(घ) आधार कार्ड :- ....

13. पंजिकृत पशु चिकित्सा द्वारा पशुओं के फिटनेश सर्टिफिकेशन से संबंधित विवरणी का प्रारूप ।

14. ब्लड ड्रेन (खून बहाव) तथा क्लेक्शन (ब्लड, हड्डी टिशू) की व्यवस्था की विवरणी।

15. प्रकाश, वेन्टीलेशन, ड्रेनेज की समूचित व्यवस्था की विवरणी:-

16. वधशाला में कार्यरत व्यक्ति की विवरणी:-

(क) नाम .... (ख) आधार नं0 ....

(ग) उम्र .... (घ) वोटर कार्ड ....

17. दिवाल में 5 फीट तक का टाईल्स लगा हो।

18. पानी की समुचित व्यवस्था एवं पानी निकासी की उचित व्यवस्था हो ।

19. वधशाला लाल रंग के पेंट से रंगा हो।

20. वधशाला में उपयोग के लिए तेज हथियार स्टैनलेस स्टील का हो।

21. वधशाला की सफाई प्रतिदिन 02 (दो) बार गंध निरोधक पदार्थ से हो ।

22. पशु के साथ क्रूरता नही होनी चाहिए।

23. सभी उपकरण (औजार) एवं दूकान की सफाई प्रतिदिन गर्म पानी से होनी चाहिए।